

1055  
18.9.2014

संख्या- ५९५ /XLII-1 / 2014-05(01) / 2010

प्रेषक,

एस0 राजू,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्,  
देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 16 सितम्बर, 2014

विषय-उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्राक-528/सं0शि0परि0/वि0पुर्न0/2013-14 दिनांक 07.09.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद् के ढांचे में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों के शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी 2015 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाये अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता/ अनिवार्य अर्हता
1.	शोध अधिकारी	15600-39100 ग्रेड वेतन- 5400	01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ गणितीय सांख्यिकी या कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा। <b>अधिमानी अर्हता-</b> ऐसे अभ्यर्थी को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड या उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हों, अन्य बातों के समान होने पर अधिमान दिया जायेगा। <b>भर्ती का स्रोत-</b> शोध सहायक के पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी शोध सहायक से पदोन्नति द्वारा। पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण से भरा जा सकेगा।
2.	शोध सहायक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ गणितीय सांख्यिकी या कामर्स में

				<p>स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा।</p> <p><b>अधिमानी अर्हता-</b> ऐसे अभ्यर्थी को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड या उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हों, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।</p> <p><b>भर्ती का स्रोत-</b> विभागीय सीधी भर्ती।</p>
3.	सहायक लेखाधिकारी	अपने संवर्ग के वेतनमान के अनुसार	01	
4.	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड वेतन-4200	01	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।</p> <p>2. हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर 4000 की-डिप्रेसन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।</p> <p><b>भर्ती का स्रोत-</b> वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण द्वारा।</p>
5.	वरिष्ठ सहायक	9300-34800 ग्रेड वेतन 2800	02	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।</p> <p>2. हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर 4000 की-डिप्रेसन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।</p> <p><b>भर्ती का स्रोत-</b> प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण द्वारा।</p>
6.	अनुवादक	9300-34800 ग्रेड वेतन 2400	01	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हिन्दी एवं संस्कृत सहित इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि में डिप्लोमा। आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर टंकण (हिन्दी) में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।</p> <p><b>भर्ती का स्रोत-</b> विभागीय सीधी भर्ती।</p>
7.	वाहन चालक	आउटसोर्सिंग	01	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।</p> <p>2. वाहन चलाने का पूर्ण अनुभव सहित भारी-हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेन्स।</p>



8.	चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग	02	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। 2. साईकिल चलाने का ज्ञान।
----	---------------	-------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-05-भाषा विकास-103-संस्कृत शिक्षा-08-उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-133(P)/XXVII(3)/2014 दिनांक 04 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-५९५ (1)/XLII-1/2014-05(01)2010 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)

अपर सचिव।